(2)

1248

13 NOV 2026

कार्यालय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कानपुर रोड लखनऊ।
Qkslu 0522&2436903 lh;wth+ 919454400366 QSDI 0522&2436903 bZesy&compac32@uppac.net osclkbZV&uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याः ट–03/2026 दिनांकः–नवम्बर, 12–,2026

महानगर, लखनऊ

अल्पकालिक निविदा

32वीं वाहिनी पीएसी सरोजनी नगर लखनऊ के परिसर में जवानों एवं उनके परिवारीजनों के कल्याणार्थ **सब्जी, फल आदि की दुकान/शॉप** ठेके पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है। इस शॉप/दुकान से ताजी सब्जी/फल इत्यादि की बिक्री की जायेगी, जो बाजार दर से कम मूल्य पर होगी।

1– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, **जिसका निविदा प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 500/– नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है**। **निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम, पता तथा "सब्जी/फल की शॉप के लिए टेण्डर" अवश्य लिखा जाय**। निविदा डालने वाला व्यक्ति निविदा प्रारूप में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि "उसके द्वारा किसी संस्थान में ठेके पर सब्जी/फल बेचने का कोई अनुभव प्राप्त हो" अथवा उसे सब्जी/फल की दुकान चलाने का **कितने वर्ष का अनुभव** (Experience) पूर्व से प्राप्त है। **यदि किसी राजकीय संस्थान में फल/सब्जी का ठेका लिये हुए हैं, तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य दिया जाये।**

2– निविदा फार्म/प्रारूप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 23.11.2026 **है, जो प्रधान लिपिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका समय** प्रातःकाल 10.00 बजे से सायंकाल 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.11.2026 **की 12.00 बजे तक होगी**। मुहरबन्द निविदा तद्दिनांक 25.11.2026 को सायं **15.00** बजे उपसेनानायक/सहायक सेनानायक/शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के द्वारा निविदादाता तथा समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

3– **प्रत्येक निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ रू0 5,000–00 की अर्नेष्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 अथवा नकद (निविदा लिफाफे में भरकर) सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा कराना होगा** अथवा नकद भी जमा किया जा सकता है। जिस–जिस निविदादाता की निविदा अस्वीकृत होगी, उन सभी की अर्नेष्ट मनी की धनराशि को दूसरे दिन प्रधान लिपिक कार्यालय द्वारा निविदादाताओं को वापस की जायेगी।

4– निविदादाता प्रत्येक दिन बेची जाने वाली ताजी सब्जी/फल आदि की मूल्य सूची को टाँगेगा जो बाजार रेट की दर से कम पर हो।

5– निविदा स्वीकृत हो जाने पर **निविदादाता को जमानत (सिक्योरिटी मनी) के रूप में अधिकतम मूल्य पर स्वीकृत मासिक किराये के तीन गुना की धरोहर धनराशि** का एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) रू0 100/–नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

Server

SOPACHO
13.11.26

6– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं। अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण बताने के लिए बाध्य नही होंगे।

7– जिस ठेकेदार के नाम से निविदा स्वीकृत की जायेगी, उस ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। ठेकेदार कार्यादेश प्राप्त करके निर्धारित अवधि (तीन दिवस) के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) भर कर देगा। साथ ही साथ धरोहर/(सिक्योरिटी मनी) की धनराशि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रधान लिपिक कार्यालय में जमा करेगा। यदि ठेकेदार उक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। उपरोक्त स्थिति में सेनानायक को यह अधिकार होगा कि वह प्रथम ठेकेदार का ठेका निरस्त कर द्वितीय अधिकतम निविदा को स्वीकृत कर दूसरे निविदादाता को फल/सब्जी की शॉप संचालन करने का अवसर दे सकते है। यह निर्णय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के विवेक पर निर्भर करेगा।

8– निविदादाता कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त ताजी सब्जी/फल के संचालन में लापरवाही बरतता है अथवा 03 दिवस से अधिक समय तक शॉप को बन्द रखता है तो उसको नोटिस देकर शॉप का टेण्डर/निविदा निरस्त कर उसकी अर्नेष्ट मनी एवं सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि) जमा करने का पूर्ण अधिकार सेनानायक को होगा।

निविदा की शर्ते

1– सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में माहवारी रिबेट देने की धनराशि रू0–5,000/–निर्धारित की गयी है। निविदादाता निविदा डालते समय निविदा प्रारूप में अपना नाम व पिता का नाम के साथ पूर्ण स्थायी पता व दो गवाहो के नाम उनके पूर्ण स्थाई पते सहित भरेगा। फल/सब्जी से सम्बन्धित सामानों की सूची (जो बाजार रेट से कम दर पर हो) प्रस्तुत कर निविदा के साथ लिफाफे में भर कर देगा। साथ ही साथ रू0 5,000–00 की धनराशि "अर्नेष्ट मनी" निविदा लिफाफे में भर कर निविदा डालेगा। जिस निविदा लिफाफे में अर्नेष्ट मनी नहीं होगी, उसकी निविदा अयोग्य घोषित मानी जायेगी।

2– वाहिनी में नियुक्त पीएसी कर्मी स्वयं या अपने परिवारीजनों के नाम से निविदा नहीं डालेगा। निविदादाता के स्थाई पते की जांच सम्बन्धित थाने के माध्यम से शिविरपाल द्वारा कराई जायेगी।

3– ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तो पर आधारित एक अनुबन्ध पत्र भरना होगा। इसलिए वही व्यक्ति निविदा प्रेषित करें, जिसकों यह शर्तें स्वीकार हो। माहबारी रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होगें।

(बिजली चार्जेज मीटर रीडिंग के अनुसार)

4– चयनित ठेकेदार फल/सब्जी शॉप में अथवा उसके आसपास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की अनुमति के बिना नही करायेगा।

5–वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिग के अनुसार बिजली का बिल देने का हकदार होगा।

6– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त ठेकेदार फल/सब्जी की शॉप(दुकान) में पूर्ण स्वच्छता आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध करने के लिये बाध्य होगा।

7– शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ फल/सब्जी से सम्बन्धित सभी प्रकार की खाद्य पदार्थो के मूल्यों (बाजार रेट से कम हो) का निर्धारण ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये रेट सूची के अनुसार पर्यवेक्षण करके अद्योहस्ताक्षरी से प्रत्येक माह अनुमोदित करायेगें।

8– ठेकेदार को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सब्जी/फल की दुकान का आशय/ध्येय पीएसी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करानी है न कि धनोपार्जन करना है। अतः ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी जो फल/सब्जी की दुकान पर आते है, को बाहरी व्यक्तियों की अपेक्षा वाहिनी के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ ही साथ उनके परिवारजनों को प्राथमिकता देगा तथा अच्छे स्तर के फल/सब्जी निर्धारित ''रेट''जो कि बाजार मूल्य से कम होंगे, को उपलब्ध करायेगा। ठेकेदार फल/सब्जी से सम्बन्धित समस्त खाद्य पदार्थो को सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से विक्रय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

9– ठेकेदार फल/सब्जी के किसी खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को, पूर्व अनुमोदित मूल्य से अधिक रेट पर नही बेंचेगा।

10– ठेकेदार खाद्य पदार्थो के भावों की सूची हस्ताक्षर कर फल/सब्जी की शॉप में टांगेगा। इस निर्देश को मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

11– ठेकेदार वाहिनी के किसी के कर्मचारी अथवा उसके परिवारजनों को फल/सब्जी उधारी के तौर पर नहीं देगा, यदि देता है तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के ऊपर किसी अधिकारी/कर्मचारी पर किसी प्रकार के उधार की अदायगी का उत्तरदायित्व नही होगा।

12– ठेकेदार फल/सब्जी की शॉप में कोई नशीली वस्तु, तस्करी का सामान अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई वस्तु या पेय पदार्थ/खाद्य सामाग्री नही बेंचेगा और न ही बासी/पुरानी सब्जी/फल की ब्रिकी करेगा। यदि इस तरह का कोई कृत्य पाया जायेगा तो ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

13 – ठेकेदार शाप /दुकान में कोई रोगग्रस्त तथा नाबालिग नौकर नही रखेगा।

14– ठेकेदार फल/सब्जी आदि वस्तुओं को अत्यन्त सफाई के साथ ढक कर रखेगा।

15– सब्जी, फल की शॉप/दुकान पर किसी भी समय कोई भी राजपत्रित अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिये निरीक्षण कर सकते हैं।

16– ठेकेदार सब्जी, व फल के बाजार रेट से कम मूल्यों की सूची को ऐसे स्थान पर लटकायेगा/टाँगेगा जिससे कर्मचारी अथवा उसके परिवारजनों को आसानी से पढने हेतु दिखाई दे।

17– ठेकेदार साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, गन्दगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।

18– ठेकेदार फल/सब्जी की शॉप का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को संचालन करने हेतु नही दे सकता हैं।

19—जब ठेकेदार/निविदादाता, निविदा से सम्बन्धित फार्म प्राप्त करने आयेगा, तो अपने साथ स्थाई पता का (प्रूफ/निवास स्थाान की आई0डी0 के साथ) प्रमाण ग्राम प्रधान अथवा पार्षद से निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित कराकर देगा। किसी भी ठेकेदार /निविदादाता का लोकल/स्थानीय निवास स्थान का पता मान्य नहीं होगा।

20— ठेकेदार को यह ठेका एक वर्ष के लिए दिया जा रहा हैं। ठेकेदार **फल/सब्जी** की शॉप को बीच में छोडता है, या किसी और को संचालित करने हेतु देता है, जिसकी जानकारी होने पर ठेकेदार द्वारा जमा **की गयी "अर्नेष्ट मनी व धरोहर की धनराशि " जब्त कर ली जायेगी, जिसकी लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।**

21— ठेकेदार यदि अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, सड़ी—गली **फल/सब्जी** बेचता है, पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, निर्धारित मूल्य से अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को ठेकेदार पर रू0—500/— तक का जुर्माना एक समय में लगाने का अधिकार होगा।

22— यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये ही ठेका किसी भी समय समाप्त कर सकते है।

(गोपाल कृष्ण चौधरी)
सेनानायक
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ
2—पुलिस आयुक्त लखनऊ को व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
3—समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स, उ0प्र0।
4—समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक अनुभाग/लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
5—पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
6—सेनानायक 35वीं/02/11/27/25वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ/सीतापुर/रायबरेली।
7—कमेटी अध्यक्ष—उप सेनानायक,/ सदस्य सहायक सेनानायक, शिविरपाल, 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8—सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखनऊ।
9—स्टाफ आफीसर पीएसी मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।(ई—मेल पर)
10—शिविरपाल 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को प्रचार—प्रसार एवं एक प्रति वाहिनी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने के साथ ही साथ अपेक्षित निर्देशों के अनुसार अनुपालन करने हेतु।